<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)</u>

निगरानी क :- /2016

निग 3471-2016

1. लखन तनय पचुवा ढ़ीमर
2. जलमा तनय पचुवा ढ़ीमर

निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील वडागॉव धसान जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...........निगराकारगण

बनाम्

म0प्र0 शासन

................अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, सहपठित धारा 162(2) संशोधन 2015 के अनुसार

महोदय,

निगराकारगण की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि, भूमि स्थित ग्राम धर्मपुरा खसरा नम्बर 23 एकत्र रकवा 1.269 हेक्टेयर आवेदक/निगराकारगण को शासन द्वारा बंटन में प्राप्त हुई थी उक्त भूमि पर आवेदकगण लगातार 30–40 वर्षो से कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे है।

(2) यह कि, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में हस्तलिखित खसरा में दर्ज है, आवेदक को प्रकरण कमांक 115/अ–19/1995–96 में आदेश दिनांक 12–01–96 के अनुसार भू–स्वामी घोषित किया गया था जिसका विधिवत् राजस्व अभिलेख मौजूद है।

(3) यह कि, उक्त भूमि कम्प्युट्रीकृत अभिलेख में राजस्व स्वामित्व के कालम में शासन म. प्र. दर्ज है, जबकि आवेदक/निगराकार को शासन द्वारा प्रदत्त भू–अधिकार ऋण पुस्तिका कमांक 336557 दी जा चुकी है जिस पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।

(4) यह कि, वांध सुजारा परियोजना से भूमि डूब में जा रही है, भूमि से संबंधित निगराकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भूमि निगराकार की है और भूलवस कम्प्युट्रीकृत अभिलेख में निगराकार का नाम अंकित न होने से गम्भीर नुकसान हो रहा है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R3471-I16 ..... जिला ..... टीकमगढ़ .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	1— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्र.106/अपील/2015—16 में पारित आदेश दि. 03—08—2016 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगणों को ग्राम धरमापुर की भूमि ख.नं0 23 रकवा 1.269 हे0 भूमि का पट्टा भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख एवं हस्तलिपि खसरा में भी उनका में आवेदकगण को नाम दर्ज है। न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/अ—19(4)/95—96 आदेश दिनांक 15.01.1996 के तहत आवेदक को नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया गया था। तभी से वे काबिज है उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है। इसी आधार पर आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागॉव के समक्ष कम्प्यूटर शाखा में आवेदक के नाम दर्ज किए जाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था किंतु उसे निरस्त किए जाने से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो धारा 5 पर ही अस्वीकार किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15—20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन के आधार पर कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाना था किंतु विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी विधिक आधार के प्रकरण निराकृत किया गया है।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश के तहत कम्प्यूटर अभिलेख में दुरूस्ती की जाकर पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा दिनांक 10.10.15 में यह उल्लेखित किया है कि आवेदक को प्रकरण क्र. 115/अ–19(4)/95–96 आदेश दिनांक 15.01.1996 के तहत पट्टा जारी किया गया था जिसे आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा हस्तलिपि खसरा में आवेदकगणों का नाम वर्तमान में दर्ज हैं इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रचलित कार्यवाही में पारित आदेश विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 निरस्त किया जाकर, नायब तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा जारी पट्टा आदेश दिनांक 15.01.1996 के आधार पर आवेदकगण के नाम कम्प्यूटर/राजस्व अभिलेख में पूर्वतः दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	